

23.07.2024:—आज पत्रावली वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पत्र पेशी में लिया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे निवेदन किया कि पक्षकारों के लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो चुका है मुताबिक राजीनामा वादी अपना वाद पत्र आगे नहीं चलाना चाहता। इसलिए वाद पत्र वर्तमान स्तर पर विदझावल (खारिज) करवाना चाहता है। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी अधिवक्ता द्वारा फर्द अहकाम पर वादी गुरजीत सिंह के हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री राजेशदीपराय द्वारा की गई। मुताबिक राजीनामा हो जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादी का वाद पत्र मौजूदा सूरत में विदझावल (खारिज) किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

